न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

र्थना पत्र संख्या ::— 60/2023

शंकरलाल पिता कजोड धाकड निवारी हनुतिया तह0 बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

1. तिलोकचन्द्र पिता देवी धाकड निवारी हनुतिया तह0 बेगूँ
2. भूरीबाई पुत्री देवी धाकड निवासी हनुतिया तह0 बेगूँ
3. इन्द्रा पिता शंभुलाल धाकड निवासी हनुतिया तह0 बेगूँ
4. धीसीबाई पत्नि शंभूलाल धाकड निवासी हनुतिया तह0 बेगूँ
5. चन्दा पिता शंभुलाल धाकड निवासी हनुतिया तह0 बेगूँ
6. सुगना पिता शंभुलाल धाकड निवासी हनुतिया तह0 बेगूँ
7. सीमा पिता शंभुलाल धाकड निवासी हनुतिया तह0 बेगूँ
8. हरलाल पिता माधु धाकड निवासी हनुतिया तह0 बेगूँ
9. भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ विपक्षीगण

उपस्थित ::— श्री इफ्तेखार अजमेरी
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री विजय कुमार भारद्वाज
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांक ::— 09.07.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम हनुतिया पटवार हल्का रामपुरिया में आराजी संख्या 390/67 से होकर आराजी संख्या 62,63,388/57 पर पहुंचने के लिए प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा जिस उक्त खसरा संख्या 61, 389/63,57,64 मे से रास्ता मांगा जा रहा है , कि प्रार्थी अपने आराजी 390/67 से होकर 62, 63,388/57 पर पहुचने हेतु आराजी संख्या 61,389/63,5764 से होकर अपनी उपरोक्त आराजीयात पर पहुँचते है।

यह कि प्रार्थी के अपने आराजी संख्या 62, 63,388/57 पर पहुँचने के लिए इसके अलावा न तो कोई मार्ग है व नही कोई ओर मार्ग संभव है। प्रार्थी कदीम से इसी मार्ग का उपयोग आने जाने हर बेलगाडी फसल पशु, घास आदी लाने ले जाने हेतु कर रहे है। प्रार्थी कदीम से इस रास्ते का उपयोग कर रहे है किन्तु विपक्षीगण अब इसमें आनाकानी करने लगे है तथा दिनांक 10.05.2023 को प्रार्थी को रास्ते से निकलने से मना कर दिया जिससे मौके पर अनावश्यक तनाव व विवाद तथा परेशानी न हो इस दृष्टि से यह आवेदन इस आशय से प्रस्तुत किया जा रहा है कि प्रार्थी के आने जाने हल बेलगाडी फसल पशु घास आदि लाने ले जाने के लिए आराजी संख्या 61,389/63,57,64 मे से 30 फिट चौडा रास्ता 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रदत्त कराया जावे प्रार्थी नियमानुसार इसका हर्जा भी चुकाने को तेयार व तत्पर है।

अतःप्रार्थना है कि प्रार्थी की आराजी ग्राम हनुतिया की उपरोक्त आराजीयात सं. 390/67 से होकर 62,63,388/57 मे आने जाने के लिए 30 फिट चौडा रास्ता 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत विपक्षीगण की आराजी ग्राम हनुतिया में स्थित आराजी संख्या 61, 389/63, 57, 64 के हिस्से से प्रदत्त करवाया जावे। प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा देने हेतु तैयार है। इस आवेदन के साथ आवश्यक जमाबंदी व नक्शाट्रेस भी संलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार भारद्वाज ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु विपक्षी संख्या 2 से 8 तक बाद तामील होने व सूचना होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

पत्रावली में विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहने पर उन्हें पर्याप्त अवसर न्यायालय द्वारा दिये गये अंतिम अवसर भी दिये गये किन्तु उनके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से पत्रावली में विपक्षी संख्या 1 का जवाब बंद किया जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थी अपनी कृषि आराजी पर पहुँच हेतु विपक्षीगण के खाते की कृषि आराजी से रास्ता चाहते है उसके लिए रास्ते सम्बन्धी मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को जरिये पत्रांक 2 दिनांक 16.01.2025 से लिखा गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक 204 दिनांक 01.04.2025 के साथ संलगन भू0अ0नि0 की रिपोर्ट पर्चामौका नकल जमाबंदी नक्शा संलग्न कर भिजवाई गई। रिपोर्ट निम्न प्रकार है :–

1– प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु चाही गई भूमि आवश्यक है और केवल सुविधाजनक हेतु उपयोग नहीं है।
2– प्रार्थी के पास वैकल्पिक किसी प्रकार का रास्ता कही से भी उपलब्ध नहीं है।
3– प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वयं की आराजी संख्या 390/67 के बिन्दु ए से स्वयं की अन्य खातेदारी आराजी संख्या 388/57 के बिन्दु संख्या बी तक है जो न्यूनतम मार्ग है।
4– प्रस्तावित रास्ता के खसरा में रकबा निम्नानुसार है–

आराजी संख्या	कुल रकबा	किस्म भूमि	रास्ते हेतु प्रस्ता.रकबा	रास्ते हेतु रकबा वर्गमीटर
61	0.170	बरानी 2	0.0098	98
389/63	0.055		0.0060	60
64	0.200		0.0030	30
57	0.305		0.0168	168
	कीता–4		0.0356	356

5– प्रार्थी द्वारा वांछित/प्रस्तावित मार्ग जो स्वयं की खातेदारी आराजी संख्या 62 व 63 मे निम्नानुसार रकबा बनता है जो नक्शे मे प्रदर्शित है

आराजी संख्या	कुल रकबा	किस्म भूमि	रास्ते हेतु प्रस्ता.रकबा	रास्ते हेतु रकबा वर्गमीटर
62	0.11	बरानी 2	0.010	100
63	0.055	बरानी 2	0.006	60
	कीता–2		0.016	160

6– प्रस्तावित नये मार्ग के मामले मे मुआवजा राशि की गणना टीआरए अनुभाग से पृथक से कराई जाकर संलग्न हैं।

प्राप्त मुआवजा राशि की गणना जो कि डीएलसी दर अनुसार की गई,जो तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा तैयार का निम्न प्रकार से रिपोर्ट के साथ भिजवाई है :–

रिपोर्ट भू.अ.नि. वृत चेची अनुसार ग्राम हनुतिया प0ह0 रामपुरिया भू.अ.नि. वृत चेची की आराजी सं. 61 मे से 98 वर्गमीटर, आराजी संख्या 389/63 मे से 60 वर्गमीटर, आराजी संख्या 64 मे से 30 वर्गमीटर तथा आराजी संख्या 57 मे से 168 वर्गमीटर कुल 356 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है।

प्रभावित भूमि का मूल्य –डी एल सी – 1178000/–

डी एल सी का दुगना– 1178000गुणा 2 यानि 2356000/–

ए– आराजी संख्या 61 एवं 64 के प्रभावित भूमिधारको को देय कुल राशि

2356000/10000गुणा 128– 30158/–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	61, 64	तलोचंद्र पुत्र देवी धाकड	1/2	15079
2–	61,64	भूरीवाई पुत्री देवी धाकड	1/2	15079
		कुल देय राशि		30158

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

बी– आराजी संख्या 389/63 एवं 57 के प्रभावित भूमिधारको को देय कुल राशि
2356000/10000गुणा 228– 57720/–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	369/63, 57	इंद्रा पुत्री शंभुलाल धाकड	1/10	5772
2–	–"–	धीरीबाई पत्नी शंभुलालधाकड	1/10	5772
3–	–"–	चंदा पुत्री शंम्भुलाल धाकड	1/10	5772
4–	–"–	सुगना पुत्री शंभुलाल धाकड	1/10	5772
5–	–"–	सीमा पुत्री शंभुलाल धाकड	1/10	5772
6–	–"–	हरलाल पुत्र माधु धाकड	1/2	28860
		कुल देय राशि		57720

उपरोक्त मुआवजा राशि जो विपक्षीगण की भूमियों में से रास्ते के उपयोग हेतु ली जाने वाली भूमि के लिए गणना की गई है उसमें राशि 30158+57720 कुल 87878/– प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराई जा सकती है।

पत्रावली में प्राप्त रिपोर्ट पर अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया जिन्होने प्रार्थी की कृषि भूमि पर आने जाने के लिए विपक्षीगण की उपरोक्त कृषि आराजीयात से मार्ग राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का निवेदन करते हुए कहा है कि प्रार्थी कदीम से इस मार्ग से आ जा रहे है लेकिन अब विपक्षीगण के आपत्ति करने व विवाद न रहे इसलिए इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत सार्वजनिक रास्ता रिकोर्ड में दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस सुने जाने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से कोई जवाब या आपत्ति नहीं दर्ज हुई है साथ ही रास्ते के सम्बन्धी मौका रिपोर्ट में अंकिमत किया गया है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक किसी प्रकार का रास्ता कही से भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खाते की कृषि आराजी मौजा हनुतिया पटवार हल्का रामपुरिया की आराजी संख्या 390/67 से होकर आराजी संख्या 62, 63, 388/57 पर पहुचने के लिए विपक्षीगण के खाते की कृषि आराजी मौजा हनुतिया पटवार हल्का रामपुरिया की आराजी संख्या 61 मे से 98 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 389/63 मे से 60वर्गमीटर ,आराजी संख्या 64 मे से 30 वर्गमीटर तथा आराजी संख्या 57 मे से 168 वर्गमीटर कुल रास्ता 356 वर्गमीटर का 30फिट चौडा रास्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को मुआवजा राशि कुल राशि 87878/-- रूपये तहसील कार्यालय में जमा कराने पर उक्त भूमि के लिए सार्वजनिक रास्ता राजस्व रेकार्ड एवं नक्शाट्रेस में दर्ज किया जावें। प्रार्थी द्वारा जमा मुआवजा राशि का भुगतान निर्णय में दर्शाये टी.आर.ए की रिपोर्ट अनुसार किया जावें। निर्णय की पालना हेतु प्रति तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

क्रमांक/सरिश्ता/2025/531 दिनांक :– 21-7-25

प्रार्थना पत्र संख्या 60/2023 व अनवान शंकरलाल बनाम तलोकचंद्र वगै प्रार्थना प.त्र अ0धा0 251ए में न्यायालय द्वारा किये गये आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)